

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अग. 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	12069	1191	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3062	8	0	6050
3	असम	7906	94	0	0
4	बिहार	14938	970	0	18000
5	छत्तीसगढ़	8582	998	0	9630
6	गोवा	1171	477	0	0
7	गुजरात	15963	696	0	2000
8	हरियाणा	2731	1778	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	54	54	0	0
11	झारखंड	3127	-	0	780
12	कर्नाटक	21109	780	0	54986
13	केरल	3365	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1329	0	1400
15	महाराष्ट्र	74396	3205	0	0
16	मणिपुर	72	146	0	0
17	मेघालय	1329	113	0	0
18	मिज़ोरम	526	84	0	0
19	नगालैंड	1973	48	0	0
20	उड़ीसा	19062	2135	0	11636
21	पुदुचेरी	605	-	0	1750
22	पंजाब	10465	958	0	0
23	राजस्थान	2911	376	0	5750
24	तमिलनाडु	3587	-	0	2638
25	तेलंगाना	8245	1811	0	0
26	त्रिपुरा	1376	31	0	0
27	उत्तराखंड	5903	317	0	0
28	उत्तरप्रदेश	18177	3422	0	15000
29	पश्चिम बंगाल	14669	1077	0	10000
	कुल	257375	22098	0	139620

- टिप्पणियाँ:** 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।